दिनांक 02.11.2023 को आयोजित Rural Enterprise Acceleration Project-REAP (ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना) की High Power Committee (HPC)/Steering Committee की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 02.11.2023 को अपराह्न 5.30 बजे डा0 एस0एस0सन्धू, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, HPC/Steering Committee की अध्यक्षता में मुख्य सचिव सभागार, सचिवालय, देहरादून में सम्पन्न REAP की HPC बैठक में उपस्थिति का विवरण एवं कार्यवृत्त निम्नवत हैः–

उपस्थित सदस्यों/प्रतिनिधि का विवरण :–

1. अपर मुख्य सचिव, जलागम, उत्तराखण्ड शासन, श्री आनन्द वर्द्धन–सदस्य।
2. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं मुख्य परियोजना निदेशक, UGVS-REAP, श्रीमती राधिका झा–सदस्य सचिव।
3. सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन, डा0 बी.वी.आर.सी.पुरूषोत्तम्–सदस्य
4. सचिव वित्त के प्रतिनिधि, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान–सदस्य।
5. सचिव कृषि व उद्यान के प्रतिनिधि, अपर सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, श्री रणवीर सिंह चौहान–सदस्य।
6. प्रमुख सचिव वन के प्रतिनिधि, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, श्रीमति कहकशां नसीम–सदस्य।
7. सचिव, कार्मिक के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन, श्री श्याम सिंह चौहान–सदस्य।
8. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि श्री गणेश सिंह खाती, संयुक्त विकास आयुक्त, ग्राम्य विकास–सदस्य।
9. परियोजना निदेशक, UGVS-REAP, श्रीमती नितिका खण्डेलवाल–सदस्य।

अन्य आमंत्रियों की उपस्थिति का विवरण :–

1. निदेशक ,वित्त UGVS-REAP, श्री जे0सी0जोशी।
2. उप निदेशक, मानव संसाधन व प्रशिक्षण, UGVS-REAP, श्री एम0एस0यादव।

ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (Rural Enterprise Acceleration Project-REAP) की HPC/Steering Committee की सदस्य सचिव/ मुख्य परियोजना निदेशक, UGVS-REAP, श्रीमती राधिका झा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों व अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परियोजना निदेशक, श्रीमती नितिका खण्डेलवाल द्वारा एजेन्डा के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् है :–

बिन्दु संख्याः 1– दिनांक 01.09.2022 को सम्पन्न प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

समिति को अवगत कराया गया कि Rural Enterprise Acceleration Project-REAP (ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना) की High Power Committee (HPC)/Steering Committee की द्वितीय बैठक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में **दिनांक 01.09.2022** को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक का कार्यवृत्त सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्याः 2– दिनांक 01.09.2022 की बैठक में समिति द्वारा पारित निर्णयों पर अनुपालन आख्याः–

समिति द्वारा दिनांक 01.09.2022 की बैठक में पारित निर्णयों पर निम्नानुसार अनुपालन आख्या सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई :–

i. समिति को अवगत कराया गया कि HR Agency के रूप में चयनित M/s Inductus Pvt. Ltd के साथ अक्टूबर, 2022 में अनुबन्ध किया गया। Agency के माध्यम से Project Management Unit (PMU) देहरादून व सभी जनपद कार्यालयों एवं विकसखण्ड स्तर पर स्टाफ का deployment किया जा चुका है। RFP की शर्तो के अनुसार Agency की Performance के आधार पर आगामी दो वर्ष तक Annually अनुबन्ध विस्तार किए जाने का प्राविधान है। तद्नुसार Agency के अनुबन्ध को दिनांक 18.10.2023 से आगामी एक वर्ष के विस्तार के प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

ii. सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि समिति द्वारा स्वीकृत रू0 8.00 करोड़ +GST प्रति वर्ष की वित्तीय स्वीकृति अन्तर्गत Management Consultant Firm (MCF) की टेन्डर प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। जिसके अन्तर्गत फर्म M/s KPMG Advisory Pvt Ltd in consortium with M/s SEWA Bharat चयनित हुई है। उक्त फर्म के साथ RFP की शर्तो के अन्तर्गत प्रथम चरण में दो वर्षो के लिये रू0 15.86 करोड (GST सहित) का अनुबन्ध किया जाना प्रस्तावित है। फर्म के साथ Contract Negotiation किया जा चुका है। उक्त पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अच्छा स्टाफ दिखाकर चयन के बाद फर्मो द्वारा Replace की जाने वाली Manpower की गुणवत्ता अधिकांशता सही नहीं होती है। अतः इस क्रम में राज्य अन्तर्गत उक्तानुसार परियोजनाओं/विभागों में Consutant Firm द्वारा Replace की जाने वाली Manpower की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु वित्त विभाग के स्तर पर नियोजन विभाग व सम्बन्धित विभाग से सदस्य लेकर एक साक्षात्कार समिति गठित की जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष बिन्दुओं पर अनुपालन की स्थिति से समिति द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

I/42192/2023

बिन्दु संख्याः 3– REAP परियोजना हेतु वर्ष 2023–24 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदनः–

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2023 को REAP की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा वर्ष 2023–24 हेतु रू0 559.86 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदत की गई थी, उक्त को निम्नानुसार रू0 471.20 करोड़ हेतु संशाधित करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया :–

Particulars	Component / Sub Component	AWPB 2023-24 (₹ Cr.)	RAWP B 2023-24 (₹ Cr.)
Component 1	**Inclusive cluster development**		
Sub-com 1.1.1	Livelihoods diversification and enterprise development (A)	132.91	112.07
Sub-com 1.1.2	Livelihoods diversification and enterprise development (B)	66.20	38.53
Sub-comp1.2.	Institutional strengthening of CBOs and partnerships	66.45	37.42
	Sub Total Component 1	**265.56**	**188.10**
Component 2	**Ecosystem and enabling services for enterprise development**		
Sub-comp 2.1	Support services and market infrastructure	24.32	7.08
Sub-comp 2.2	Rural Financial Services	229.97	230.90
	Sub Total Component 2	**254.59**	**237.98**
Component 3	**Project Management, M&E & KM**	**40.01**	**45.20**
	Grand Total	**559.86**	**471.20**

उपरोक्त की मुख्य गतिविधियों का विवरण समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार रू0 471.20 करोड की वार्षिक कार्ययोजना 2023–24 के संशोधन के प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः 4– REAP परियोजना हेतु वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष प्रगति का प्रस्तुतीकरणः–

सदस्यगणों के समक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 के लक्ष्यों के सापेक्ष **दिनांक 31 अक्टूबर 2023** तक रु॰ **196.02** करोड़ **(41.60%)** की प्रगति का घटक व उपघटकवार निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया–

COMPONENT/ SUB COMPONENT			RAWPB 2023-24 (₹ Cr.)	Progress (₹ Cr.)
1	**INCLUSIVE CLUSTER DEVELOPMENT**			
	1.1.1	Livelihoods diversification and enterprise development [A]	112.07	32.29
	1.1.2	Livelihoods diversification and enterprise development [B]	38.53	7.04
	1.2	Institutional strengthening of CBOs and partnerships	37.42	8.96
		Sub Total 1	**188.01**	**48.29**
2	**ECOSYSTEM AND ENABLING SERVICES FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT**			
	2.1	Support services and market infrastructure	7.08	0.60
	2.2	Rural financial services	230.90	131.35 (disbursed)
		Sub Total 2	**237.98**	**131.95**
3	**PROJECT MANAGEMENT, MONITORING & KM**		**45.20**	**15.78**
		Grand Total	**471.20**	**196.02**

समिति को यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त component 1 व component 2.1 की कुल धनराशि रू0 195.09 करोड में रू0 50.34 करोड का convergence व रू0 10.69 करोड लाभार्थी अंशदान एवं रू0 14.88 करोड का Term loan शामिल है। जिसमें से वर्तमान तक रू0 15.11 करोड का convergence हुआ है तथा रू0 35.23 करोड का convergence एवं उक्त लाभार्थी अंश व Term loan उद्यम स्थापना अन्तर्गत होना शेष है।

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्रगति का अवलोकन किया गया।

बिन्दु संख्याः 5– REAP परियोजना हेतु वर्ष 2024–25 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदनः–

समिति को अवगत कराया गया कि ग्रामीण उद्यम वेगवृद्वि परियोजना (REAP) हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए धनराशि **रू. 656.45 करोड** की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार किया गया है। यह भी संज्ञान में लाया गया कि आगामी वर्ष की कार्ययोजना को आइफैड को जनवरी माह में प्रेषित किये जाने का प्राविधान है। उक्त के क्रम में वर्ष 2024–25 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गईः–

COMPONENT/ SUB COMPONENT			AWPB 2024-25 (₹ Cr.)
1	**INCLUSIVE CLUSTER DEVELOPMENT**		
	1.1.1	Livelihoods diversification and enterprise development [A]	117.56
	1.1.2	Livelihoods diversification and enterprise development [B]	72.80
	1.2	Institutional strengthening of CBOs and partnerships	78.27
		Sub Total 1	**268.63**
2	**ECOSYSTEM AND ENABLING SERVICES FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT**		
	2.1	Support services and market infrastructure	40.81
	2.2	Rural financial services	307.17
		Sub Total 2	**347.97**
3	**PROJECT MANAGEMENT, MONITORING & KM**		**39.84**
		Grand Total	**656.45**

उपरोक्त प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना की मुख्य गतिविधियों का विवरण सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार वर्ष 2024–25 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः 6– REAP परियोजना अन्तर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायनः–

समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 31.12.2021 को HPC की प्रथम बैठक में उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग–7 द्वारा बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्वान्त एवं वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों का प्रतिनिधायन सम्बन्धी शासनादेश संख्या 85/ XXVII(7)36/2010-11/2019 दिनांक 08.03.2019 के बिन्दु संख्या –9 की तालिका के क्रमांक 29 पर " Sanction/délégation of Power and authority with in his own Powers & Financial limits for smooth operation of the Program to subordinate officer " के प्राविधान के अन्तर्गत समिति द्वारा सदस्य सचिव/मुख्य परियोजना निदेशक, UGVS-REAP को परियोजना निदेशक एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को वित्तीय अधिकारों को प्रतिनिधायन करने के लिए अधिकृत किया गया था। परियोजना के सुचारू संचालन हेतु उक्त प्रतिनिधायन में **परियोजना निदेशक हेतु रू0 25.00 लाख तक तथा मुख्य विकास अधिकारी को रू0 10.00 लाख तक के वित्तीय अधिकारों के** प्रतिनिधायन हेतु निम्नानुसार संशोधन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गयाः–

क्रम सं0	अधिकारी का पदनाम	वर्तमान में वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार	प्रस्तावित संशोधन
1.	परियोजना निदेशक, UGVS-REAP	**i. रू0 2.00 लाख एक से रू0 10.00 लाख तक की सीमा तक Works, Goods व Services की अधिप्राप्ति, अनुमोदन व भुगतान एवं अनुबन्ध।** ii. अधीनस्थ अधिकारियों/प्रबन्धकों की Performance आंकलन हेतु प्रतिवेदक तथा सहायक प्रबन्धक स्तरीय कार्मिकों की Performance के स्वीकृता अधिकारी। iii. सदस्य सचिव, HPC-REAP की शक्तियों के अन्तर्गत विधिक कार्य व तत्सम्बन्धी भुगतान का अनुमोदन। iv. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत UGVS हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी। v. अधीनस्थ अधिकारियों/प्रबन्धकों के आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा बीमा व राज्य अन्तर्गत टूर प्रोग्राम की स्वीकृति।	**i. रू0 2.00 लाख एक से रू0 25.00 लाख तक की सीमा तक Works, Goods व Services की अधिप्राप्ति, अनुमोदन व भुगतान एवं अनुबन्ध।** **शेष बिन्दु ii, iii, iv व v यथावत।**
2.	निदेशक–वित्त, UGVS-REAP एवं उप निदेशक–मानव संसाधन व प्रशिक्षण, UGVS-REAP (संयुक्त रूप से)	i. निदेशक, वित्त के अनुमोदन से रू0 2.00 लाख तक के Works, Goods व Services की अधिप्राप्ति, अनुमोदन व भुगतान एवं अनुबन्ध। ii. UGVS अन्तर्गत REAP के PMU में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों/सलाहकारों के वेतन/ मानदेय/भत्तों/यात्राओं का अनुमोदन व भुगतान तथा परियोजना निदेशक के अनुमोदन उपरान्त रू0 2.00 लाख से ऊपर के अनुबन्ध।	यथावत।
3.	सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी (पदेन)	i. रू0 2.00 लाख तक के Works, Goods व Services की अधिप्राप्ति, अनुमोदन व भुगतान एवं अनुबन्ध। ii. जनपद कार्यालय में REAP हेतु कार्यरत अधिकारियों/स्टाफ के मानदेय/वेतन/यात्राओं का अनुमोदन व भुगतान। iii. REAP हेतु नियुक्त प्रबन्धक–वित के रूप में जिला मिशन प्रबन्धक (DMM, USRLM) के सहहस्ताक्षर से जनपद स्तरीय REAP के खाता का संचालन।	i. रू0 10.00 लाख तक के Works, Goods व Services की अधिप्राप्ति, अनुमोदन व भुगतान एवं अनुबन्ध। शेष बिन्दु ii व iii यथावत।
○	सम्बन्धित सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात रू0 2.00 लाख एक से ऊपर के भुगतानों को परियोजना निदेशक एवं निदेशक–वित्त के सह–हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा तथा समस्त अधीनस्था लेखा/वित्त/अधिप्राप्ति सम्बन्धित कार्मिक निदेशक, वित्त के प्रशासनिक नियन्त्रण में होगें।		यथावत।
○	रू0 2.00 लाख तक के भुगतानों को निदेशक–वित्त एवं उप निदेशक–HR&T के सह–हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा तथा अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं उन पर प्रभावी नियन्त्रण का दायित्व उप निदेशक–HR&T का होगा।		यथावत।

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि यदि उक्त से अधिक वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की आवश्यकता हो तो अगली बैठक में प्रस्ताव लाया जाए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि मुख्य विकास अधिकारी स्तर से लिए गए निर्णयों/वित्तीय स्वीकृतियों की प्रतिलिपि परियोजना मुख्यालय को प्रेषित की जाय।

बिन्दु संख्याः 7– REAP परियोजना अन्तर्गत किए गए/गतिमान कार्यो का अनुमोदनः–

पिछली बैठक के उपरान्त REAP परियोजना अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष किए गए/गतिमान कार्यो का विवरण समिति के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ निम्नानुसार प्रस्तुत किया गयाः–

कस.	विवरण	लक्ष्य	धनराशि (करोड़ में)	टिप्पणी
1	सम्बन्धित विकासभवन में REAP के जनपद कार्यालय की स्थापना	13 जनपद	1.08	कार्य पूर्ण
2	महिला कार्यबोझ में कमी हेतु CLF स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	67 CLF	6.70	कार्य पूर्ण
3	CLF स्तर पर बिजनेस हेतु स्टाफ सहयोग	226 CLF	12.53	मासिक आधार पर प्रगति पर
4	आजीविका संघों को बिजनेस हेतु प्रोत्साहन राशि	161 LC	4.62	त्रैमासिक आधार पर प्रगति पर
5	अति गरीब परिवारों को **Ultra Poor Package**	6053 परिवार	21.18	5400 लाभार्थियों को रू0 18.90 करोड का सहयोग दिया शेष प्रगति पर
6	दुग्ध समितियों की महिला सचिवों को पशु सखी के रूप में प्रशिक्षित कराना	960 पशु सखी	2.88	प्रशिक्षण प्रस्तावित
7	**CLF** स्तर पर **SHG** के सदस्यों को शेयर पूंजी में सहयोग	104836 सदस्य	10.48	कार्य प्रगति पर
8	**Outsourcing Agency-M/s Inductus ltd** का एक वर्ष हेतु अनुबन्ध विस्तार	01 वर्ष हेतु	23.96	-
9	**Management Consulting Firm (MCF)** के रूप में **M/s KPMG** की **hiring**	02 वर्ष हेतु	15.86	**Contract negotiation** की प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है।
10	**REAP** के जनपद व राज्य कार्यालयों हेतु लैपटॉप व कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर का निविदा द्वारा क्रय	111 कम्प्यूटर 106 प्रिन्टर	1.07	रू0 93 लाख के सापेक्ष रू0 1.07 करोड़ (15% अधिक) का टेन्डर **IFAD** की सहमति से किया गया।
11	विकासखण्ड कार्यालय हेतु दुपहिया वाहनो का उपार्जन	190 वाहन	2.18	वित्तीय निविदाओं का मुल्यांकन पूर्ण

12	परियोजना अन्तर्गत बेसलाइन सर्वे का कार्य	—	0.64	कार्य प्रगति पर
13	आंतरिक लेखा परिक्षक का आगामी वर्ष हेतु अनुबन्ध विस्तार	1	0.10	—
14	**Statuary auditor** का आगामी वर्ष हेतु अनुबन्ध विस्तार	1	0.06	—
15	**USRLM** कार्यालय प्ररिसर में **UGVS-REAP** के कार्यालय भवन का निर्माण	1	1.50	कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन बोर्ड द्वारा कार्य प्रारंभ।
16	**Communication agency** का उपार्जन	1	3.50	तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन कार्य प्रगति पर
17	**CLF training IIM Kashipur**	1	1.00	प्रस्ताव मूल्यांकन कार्य प्रगति पर
18	रेखीय विभागो के प्रस्ताव	13	40.00	कार्य प्रगति पर

समिति द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यो/गतिविधियों हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः 8— REAP परियोजना अन्तर्गत HR Agency के माध्यम से कार्यरत स्टाफ के वार्षिक मानदेय वृद्वि का प्रस्तावः—

समिति को अवगत कराया गया कि शासनादेश सं0 I/106436/2023 दिनांक 15 मार्च 2023 द्वारा स्वीकृत ढांचे के क्रम में REAP परियोजना अन्तर्गत राज्य व जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर HR Agency (M/s INDUCTUS Ltd) के माध्यम से स्टाफ रखा गया है। HR Agency के अनुबन्ध में Agency की Performance के आधार पर Agency को 03 वर्ष तक स्टाफ आपूर्ति हेतु रखे जाने का प्राविधान है। वर्तमान में HR Agency द्वारा एक वर्ष की अवधि पूर्ण की जा चुकी है। इस क्रम में Agency द्वारा रखे गये स्टाफ द्वारा एक वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर स्टाफ का मनोबल को बनाये रखने तथा Retain करने के लिए स्टाफ के मानदेय में 10% वार्षिक वृद्वि का प्राविधान किए जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त Performance के आधार पर 02 से 10% वार्षिक मानदेय वृद्वि प्रदान करने की सहमति प्रदान करते हुए शासन से स्वीकृति उपरान्त अगले RFP से लागू करने के निर्देश दिए गए।

बिन्दु संख्याः 9 — REAP अन्तर्गत व्यय के सापेक्ष IFAD से प्रतिपूर्ति की प्रगति का विवरणः—

समिति को अवगत कराया गया कि सितम्बर 2023 तक REAP अन्तर्गत कुल रू0 43.78 करोड का व्यय किया गया है जिसमें IFAD का रू0 37.93 करोड का अंश व्यय हुआ है। उक्त के सापेक्ष प्रतिपूर्ति का विवरण निम्नानुसार समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गयाः—

(धनराशि रू0 करोड में)

सितम्बर 2023 तक व्यय			प्रतिपूर्ति का विवरण		
राज्यांश	आइफैड फंड	योग	आइफैड को प्रेषित	प्रतिपूर्ति	शेष
5.85	37.93	43.78	37.93	19.66	18.27

यह भी संज्ञान में लाया गया कि रू0 18.27 करोड का प्रतिपूर्ति दावा माह अक्टूबर में आइफैड को प्रेषित किया गया है।

समिति प्रतिपूर्ति की उपरोक्त स्थिति से अवगत हुई।

एजेन्डा के बिन्दुओं पर चर्चा उपरान्त सदस्य सचिव, श्रीमती राधिका झा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभी सदस्यों तथा उपस्थित प्रतिनिधिगण व प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं बैठक सम्पन्न होने की घोषणा की गयी।

Signed by Radhika Jha
Date: 08-11-2023 15:50:02

(राधिका झा) IAS
मुख्य परियोजना निदेशक,UGVS- REAP एवं
सदस्य सचिव,
HPC/Steering Committee -REAP

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (UGVS)
ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP)
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार)
216, फेज़–II, पंडितवाड़ी, देहरादून–248007, दूरभाष–0135–2773800 email: info@ugvs.org

पत्रांकः /3-HPC-REAP/2022–23 दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, जलागम, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, कृषि व उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, USRLM, देहरादून।
11. परियोजना निदेशक, UGVS-REAP ।
12. समस्त जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(राधिका झा) IAS
मुख्य परियोजना निदेशक,UGVS- REAP एवं
सदस्य सचिव,
HPC/Steering Committee -REAP